

प्रेस नोट दिनांक 26.09.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

यातायात पुलिसकर्मी से अभद्रता, सरकारी कार्य में बाधा व जान से मारने की धमकी देने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा यातायात पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता, सरकारी कार्य में बाधा एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त आशीष सिंह को गिरफ्तार किया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी यातायात सेल जनपद प्रतापगढ़ में नियुक्त की प्राप्त तहरीर के अनुसार यातायात प्रबंधन हेतु एसबीआई तिराहे पर ड्यूटी पर तैनात था। जाम लगने पर वह मौके पर पहुंचा, जहां एसबीआई तिराहे से सदर महिला अस्पताल रोड पर करीब 25-30 कदम आगे वाहन संख्या UP32NS1923 सड़क पर गलत तरीके से खड़ा पाया गया, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। वाहन हटाने के लिए कहने पर चालक द्वारा गाली-गलौज करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई तथा वादी के ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास एवं बाद में अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इस संबंध में थाना पर मु0अ0सं0 575/2026 धारा 221/121(1)/132/109(1)/352/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव नेतृत्व में उ0नि0 निर्मल कुमार मय हमराह का0 हिमांशू पौनिया व का0 योगेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 575/26 धारा 221/121(1)/132/109(1)/352/351 (3) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त आशीष सिंह पुत्र राजेंद्र बहादुर सिंह निवासी खजोरी कटरा मेंदनीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रामलीला मैदान के सामने से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आशीष सिंह पुत्र राजेंद्र बहादुर सिंह निवासी खजोरी कटरा मेंदनीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 निर्मल कुमार मय हमराह का0 हिमांशू पौनिया व का0 योगेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह का0 अरविन्द यादव व का0 परमहंस चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित एवं वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा0 न्यायालय एडिशनल जिला जज कोर्ट नं0-02, प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत NBW केस नं0 514/23, मु0अ0सं0 233/20 धारा 411/413/414/420/419/467/468/471 भादवि थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त नीलकमल उर्फ प्रिन्स पुत्र छोटेलाल, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम विझला, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- नीलकमल उर्फ प्रिन्स पुत्र छोटेलाल, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम विझला, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह का0 अरविन्द यादव व का0 परमहंस चौहान, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना फतनपुर के उ0नि0 आकाश शुक्ला मय हमराह हे0का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/दबिश वांछित एवं वारण्टी/NBW अभियुक्त के दौरान क्रिकेस संख्या 21625/2021, मु0अ0सं0 26/1988 धारा 147/148/323/324/325 आईपीसी थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी

अभियुक्त राजाराम सरोज पुत्र यदुनाथ सरोज, उम्र करीब 66 वर्ष, निवासी ग्राम नारायनपुर खुर्द, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- राजाराम सरोज पुत्र यदुनाथ सरोज, उम्र करीब 66 वर्ष, निवासी ग्राम नारायनपुर खुर्द, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 आकाश शुक्ला मय हमराह हे0का0 मनोज कुमार, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा वन अधिकारी को फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने, कानूनी कार्यवाही को प्रभावित करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही कर चालान किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा पुलिस उ0नि0 चन्द्रबली सिंह मय हमराह हे0का0 सुनील कुमार गुप्ता, का0 हर्षवर्धन सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, भ्रमण, तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त एवं जांच प्रार्थना पत्र के दौरान कस्बा कुण्डा में मु0अ0सं0 368/2026 धारा 221/352/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त धीरेन्द्र उर्फ चुल्ली पुत्र गया प्रसाद जायसवाल, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम धरौली यादव बस्ती, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ को फौजदारी पर आमदा होने एवं शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के दृष्टिगत गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालान किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- धीरेन्द्र उर्फ चुल्ली पुत्र गया प्रसाद जायसवाल, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम धरौली यादव बस्ती, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 चन्द्रबली सिंह मय हमराह हे0का0 सुनील कुमार गुप्ता, का0 हर्षवर्धन सिंह, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।